[ए**.** एम**.** खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

आयकर अधिनियम, 1961-एस.68, 143, 144, 145, 271 – निर्धारण अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तुलनपत्र और लेखा पुस्तकों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी-निर्धारिती की घोषित आय में रु. 2,26,000 की राशि जोड़ी-अपीलार्थी द्वारा दायर अपील-आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा आंशिक रूप से अनुमत-सी. आई. टी. (ए) ने आदेश डी. टी. डी. द्वारा मूल्यांकन आदेश को बरकरार रखा।09.01.2003 – आई. टी. ए. टी. ने आंशिक रूप से अपीलार्थी की अपील की अनुमति दी, हालांकि, रुपये के क्रेडिट के संबंध में आदेश। 2,26,000-को बरकरार रखा गया-उच्च न्यायालय ने दिनांकित 21.08.2008-आयोजित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दियाःमूल्यांकन के समय, अपीलार्थी अपंजीकृत विक्रेताओं से संगमरमर की खरीद के संबंध में प्रविष्टियों के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। 2,26,000--इस प्रकार, उक्त लेन-देन को फर्जी प्रविष्टियों के रूप में माना गया था (नामित विक्रेताओं, जो निर्धारिती के गैर-मौजूद लेनदार थे, के श्रेय के लिए खड़ा)-हालाँकि, अब यह रिकॉर्ड पर आ गया है कि दंड की कार्यवाही में, अपीलकर्ता ने 13 अपंजीकृत विक्रेताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से 12 की अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने अपने बयान दर्ज किए और अपनी साख के बारे में कोई कमजोरी नहीं पाई-विक्रेता उनसे क्रेडिट पर खरीद के बारे में अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावे पर कायम रहे; और किस स्पष्टीकरण को अपील प्राधिकरण द्वारा आदेश डी. टी. डी. 13.01.2011-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आदेश डी. टी. डी. द्वारा स्वीकार किया गया है।13.01.2011, अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को न केवल स्वीकार किया गया था, बल्कि इस तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा आय को छिपाया नहीं गया था या आय का कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।68 मूल्यांकन वर्ष 1998-99 के लिए संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के नाम के सामने दिखाई गई नकद ऋण राशि को अलग रखा जाता है-शेष मूल्यांकन आदेश dtd।30.11.2000 जैसा कि सी. आई. टी. (ए) द्वारा आदेश डी. टी. डी. द्वारा संशोधित किया गया है।09.01.2003 अविचलित रहता है।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः**1.1 I.A.No** में। बाद की घटनाओं को रिकॉर्ड में लाने के लिए **57442/2011** अनुमति मांगी गई है।इस आवेदन द्वारा**,** अपीलार्थी/निर्धारिती ने सी**.** आई**.** टी**. (**ए**)** दिनांक **13.1.2011** द्वारा पारित एक आदेश को अभिलेख पर रखा है**,** जिसमें आयकर अधिकारी यू/एस**.** द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।**271(1)(**ग**)** स्व**-**मूल्यांकन वर्ष **1998-1999** के लिए अपीलार्थी का दिनांक **17.11.2006**।आयकर अधिकारी ने उक्त आदेश मूल्यांकन आदेश में

पहुंचे निष्कर्ष के परिणामस्वरूप पारित किया था, जो तब तक आई. टी. ए. टी. के चरण तक अंतिम हो गया था, इस प्रभाव से कि अपीलार्थी द्वारा अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई कथित खरीद अपीलार्थी द्वारा की गई फर्जी प्रविष्टियां थीं। परिणामस्वरूप, दंड कार्यवाही यू/एस।**271** अधिकारी द्वारा शुरू किया गया था।हालाँकि, उस आदेश को अब अपीलीय प्राधिकरण **[**सी. आई. टी. **(**ए**)]** द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में, दिनांक **13.1.2011** के आदेश के माध्यम से दरकिनार कर दिया गया है।**[**पैरा **10] [589-**ई**-**एच**] [590-**ए**-**सी**]**

ग

डी.

1.2 अपीलार्थी/निर्धारिती को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, अपंजीकृत विक्रेताओं से संगमरमर की खरीद के संबंध में अपने दावे की शुद्धता और वास्तविकता को साबित करने में विफल रहा। **2,26,000-(**केवल दो लाख छब्बीस हजार रुपये**)**।नतीजतन, उक्त लेन-देन को फर्जी प्रविष्टियों के रूप में माना गया **(**नामित डीलरों के क्रेडिट के लिए खड़ा है जो निर्धारिती के गैर-मौजूद लेनदार थे**)**।हालांकि, अब यह रिकॉर्ड में आ गया है कि दंड की कार्यवाही में अपीलकर्ता/निर्धारिती ने स्पष्टीकरण की पेशकश की और संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के हलफनामे और बयान दर्ज किए और उनकी साख स्थापित की।उस स्पष्टीकरण को सी. आई. टी. **(**ए**)** द्वारा दिनांकित **13.1.2011** आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है। अब तक पुनः प्रस्तुत किए गए उक्त निर्णय के पैराग्राफ **17** में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकारी ने **13** में से **12** अपंजीकृत विक्रेताओं के बयान दर्ज किए और उनकी पहचान भी विधिवत स्थापित की गई।अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण **[(**सी. आई. टी. **(**ए**)]** ने नोट किया कि अधिकारी ने न तो उन विक्रेताओं की पहचान पर संदेह किया था और न ही उनके द्वारा मूल्यांकन वर्ष **1998-1999** से संबंधित वित्तीय वर्ष में अपीलार्थी/निर्धारिती को संगमरमर के स्लैब की बिक्री और भुगतान की प्राप्ति के संबंध में उनके बयान के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी।

ई.

च

जी.

एच.

583

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी ए

दो से तीन साल बाद।इसके अलावा, रुपये मूल्य के संगमरमर की खरीद से इनकार नहीं किया गया था। **4,78,900-(**केवल चार लाख अड़तालीस हजार नौ सौ रुपये**)** निर्धारिती द्वारा और इसकी बिक्री रु. **3,57,463-(**केवल तीन लाख पचास सात हजार चार सौ साठ तीन रुपये**)** रुपये के समापन स्टॉक के साथ. **2,92,490-(**केवल दो लाख नब्बे हजार चार सौ नब्बे रुपये**)**, जैसा कि **31.3.1998** पर समाप्त वर्ष के लिए व्यापार खाते में बताया गया है।अपीलीय प्राधिकरण ने इस प्रकार पाया कि संगमरमर की खरीद के बिना, व्यापार खाते में बंद स्टॉक की कोई बिक्री और प्रकटीकरण नहीं हो सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं ने अपीलार्थी/निर्धारिती को संगमरमर के स्लैब उधार पर बेचे थे, जैसा कि दावा किया गया था।अपीलीय प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि न तो आय को छिपाया गया था और न ही निर्धारिती द्वारा आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया गया था।ये टिप्पणियां सक्षम मंच **(**अपीलीय प्राधिकरण**)** द्वारा दंड कार्यवाही में की जाती हैं।**271** निर्धारिती के पक्ष में **1961** अधिनियम।हालाँकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बताई गई दंड कार्यवाही मूल्यांकन वर्ष **1998-1999** के संबंध में प्रश्नगत मूल्यांकन आदेश का परिणाम थी।वास्तव में, मूल्यांकन के समय, अपीलार्थी/निर्धारिती अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई खरीद के संबंध में प्रविष्टियों के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा था।हालाँकि, दंड की कार्यवाही में, अपीलार्थी/निर्धारिती ने **13** अपंजीकृत विक्रेताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से **12** की जाँच अधिकारी द्वारा की गई थी।अधिकारी ने उनके बयान दर्ज किए और उनमें उनकी साख सहित कोई कमजोरी नहीं पाई।व्यापारी अपीलार्थी द्वारा उनसे ऋण पर की गई खरीद

के बारे में किए गए दावे पर कायम रहे**;** और किस स्पष्टीकरण को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक **1** के आदेश के पैराग्राफ **17** और **19** में स्वीकार किया गया है।अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक **13.1.2011** के आदेश के माध्यम से न केवल अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया था**,** बल्कि इस तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया था कि मूल्यांकन वर्ष **1998-1999** के लिए अपीलार्थी द्वारा आय को छिपाया या आय का कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।**1961** के अधिनियम की धारा **68** के तहत अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष **1998-1999** के लिए संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के नामों के खिलाफ दिखाई गई नकद क्रेडिट राशि के लिए रुपये का जोड़ अलग रखा गया है।शेष मूल्यांकन आदेश दिनांकित

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

584 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस. सी. आर.

30.11.2000 जैसा कि सी**.** आई**.** टी**. (**ए**)** द्वारा दिनांकित **9.1.2003** आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया है**,** निर्बाध रहेगा।**[**पारस **13,14,15-17] [599-E-H; 600-A-H; 601-A-D]**

मड्डी सुदर्शनम ऑयल मिल्स कं**.** बनामआयकर आयुक्त**,** हैदराबाद और आंध्र **(1959) 37** आईटीआर **369 (**एपी**);** आयकर आयुक्त बनाम अग्रवाल

इंग.कं. (जल) (2006) 206 सीटीआर (पी एंड एच) 648;

आयकर आयुक्त बनाम जी**.** के**.** ठेकेदार **(2009)**

19 डी**.** टी**.** आर**. (**राज**) 305-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ग

(1959) 37 आईटीआर **369 (**एपी**)**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

(2006) 206 पैरा **8** को संदर्भित सीटीआर **(**पी एंड एच**) 648** पैरा **8 (2009) 19** डीटीआर **(**राज**) 305** पैरा **8** को संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 6110

डी.

2009.

2006 के आयकर अपील सं. 69 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

डॉ. मनीष सिंघवी, के. राधाकृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता।, संदीप कुमार झा, पी. वी. योगेश्वरन, अर्पित प्रकाश, राव, जितिन सिंघल, सुश्री अनिल कटियार, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

च

1. यह अपील 2006 की आयकर अपील संख्या 69 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा (संक्षेप में, "उच्च न्यायालय") पारित अंतिम निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिसमें अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई थी और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जोधपुर पीठ (संक्षेप में, "आई. टी. ए. टी".) के आदेश को बरकरार रखा गया था।

जी.

2. संक्षेप में, अपीलार्थी/निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी (संक्षेप में, 'अधिकारी') द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-1999 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, '1961 अधिनियम') की धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस दिया गया था, जिसके अनुसार 30.11.2000 पर एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था।इस अपील में कुछ जोड़ ए के लिए सीमित चुनौती शामिल है।

एच.

585

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मूल्यांकन क्रम में "व्यापार खाता" और "क्रेडिट" शीर्ष के तहत किया गया।अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तुलनपत्र और लेखा पुस्तकों पर भरोसा करते हुए, रु. 2,26,000-(केवल दो लाख छत्तीस हजार रुपये) की राशि पर ध्यान दिया। अधिकारी ने उस राशि को 1961 के अधिनियम की धारा 68 के तहत "नकद क्रेडिट" के रूप में माना और इसे निर्धारिती की घोषित आय में जोड़ा (संक्षेप में, "दूसरा जोड़")।इसके बाद अधिकारी संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की गणना करने के लिए आगे बढ़े।गणना के प्रासंगिक भाग का उल्लेख नीचे किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“श्रेयःनिर्धारिती की तुलन-पत्र और लेखा पुस्तकों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती ने निम्नलिखित 15 व्यक्तियों के नाम पर रु. 2,26,000 की जमा राशि दिखाई हैः

ग

..... तदनुसार, रुपये के क्रेडिट की सत्यता साबित करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था। 2,26,000- जैसा कि निर्धारिती द्वारा दिखाया गया है।हालांकि निर्धारिती द्वारा दिखाए गए क्रेडिट के संबंध में गलत/गलत विवरण या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए थे।इस तरह, 15 व्यक्तियों के नाम पर दिखाए गए रुपये का क्रेडिट सही नहीं है और निर्धारिती द्वारा लेनदारों की आय और आय के स्रोत के संबंध में कोई सही प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।इसके अलावा, 15 व्यक्तियों के नाम पर दिखाए गए रुपये के क्रेडिट को धारा 68 के तहत अस्पष्ट माना जाता है और निर्धारिती की घोषित आय में जोड़ा जाता है।

डी.

ई.

तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारिती की आय की गणना इस प्रकार हैः

च

87500/-

रिटर्न में दिखाई गई आय

1. अस्वीकृत कटौती यू/एस।24(1) चर्चा के अनुसार

7200/-

2. सकल लाभ में वृद्धि

10000/-

जी.

3. कम के आधार पर जोड़

घरेलू खर्चों की निकासी

18000/-

4. चर्चा के अनुसार अस्पष्टीकृत ऋण 226000/- 261200/- कुल कर योग्य आयकर

348700/- ए.

एच.

मूल्यांकन किया गया।आवश्यक प्रपत्र जारी किए गए।धारा 272 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाने के लिए अलग से नोटिस जारी किया जाए।"

3. पीड़ित, अपीलार्थी/निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील), जोधपुर (संक्षेप में, 'सी. आई. टी. (ए)') के समक्ष अपील की। अपील को आंशिक रूप से 9.1.2003 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।हालाँकि, व्यापार खाते और विचाराधीन ऋणों के संबंध में, सी. आई. टी. (ए) ने मूल्यांकन आदेश को बरकरार रखा।

4. अपीलार्थी/निर्धारिती ने तब आई. टी. ए. टी. में आगे की अपील को प्राथमिकता दी। विभाग और अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा उठाए गए मुद्दों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, आई. टी. ए. टी. ने दिनांक 4.11.2004 के आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी।हालांकि, रुपये 2,26,000-(केवल दो लाख छत्तीस हजार रुपये) के क्रेडिट के संबंध में दूसरे जोड़ (वर्तमान दीवानी अपील में विचाराधीन) से संबंधित आदेश को बरकरार रखा गया।5. इसके बाद अपीलार्थी/निर्धारिती ने 1961 के अधिनियम की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की। कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर 27.4.2006 पर अपील स्वीकार की गई थीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

''क्या निर्धारिती द्वारा माल की खरीद के दावे को आयकर की धारा 68 के तहत नकद ऋण के रूप में निपटाया जा सकता है, निर्धारिती पर यह समझाने का बोझ डालकर कि खरीद मूल्य प्रकट किए गए स्रोतों से उसकी आय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?'' अपीलार्थी/निर्धारिती का मुख्य तर्क यह था कि एक बार लेखा पुस्तकों को खारिज कर दिए जाने और मूल्यांकन आदेश पारित हो जाने के बाद, अधिकारी द्वारा परिणामी जोड़ (ओं) लागू करने के लिए उन्हीं लेखा पुस्तकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ई.

च

6. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और दिनांक 21.8.2008 के आदेश के माध्यम से अपील को गुणदोष से रहित बताते हुए खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने राय दी कि क्रेडिट के रूप में दिखाई गई राशि और कुछ नहीं बल्कि फर्जी प्रविष्टियां थीं और इसे अपीलार्थी/निर्धारिती की आय में उचित रूप से जोड़ा गया था।अदालत ने अपील को खारिज करने के लिए अन्य कारणों का भी उल्लेख किया।निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

"हमारे विचार में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों में से किसी में भी बल नहीं है।विद्वान वकील ने माल की खरीद के तथ्य के बारे में बुनियादी धारणा पर आगे बढ़कर, नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया है, जबकि निर्धारण अधिकारी का वर्गीकृत निष्कर्ष, जो ए नहीं है

एच.

587

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

अपील में बाधा यह है कि अपंजीकृत विक्रेता निर्धारिती से इस खरीद के संबंध में उसके दावे की शुद्धता और वास्तविकता को साबित करने के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान बुलाया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से विफल रहा, और इसलिए, खरीद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हमारे विचार में, यह निष्कर्ष,

बल्कि यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि निर्धारिती द्वारा कोई भी खरीद प्रभावित नहीं की गई थी, और राशि को फर्जी तरीके से दिखाया गया था, जो कथित खरीदारों के क्रेडिट के लिए खड़ा दिखाया गया था, जिन्हें या तो अस्तित्व में दिखाया नहीं जा सका था, या निर्धारिती के लेनदार होने के लिए, निर्धारिती द्वारा कथित विचार के लिए बहुत कम।मूल्यांकन आदेशों और अपीलों में पुष्टि किए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि निर्धारिती को कथित लेन-देन की वास्तविकता को साबित करने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारिती विफल रहा, और राजस्व द्वारा कथित लेन-देन की शुद्धता की जांच करने के लिए किए गए प्रयास भी निर्धारिती के पक्ष में कोई परिणाम नहीं दे सके।

ग

डी.

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों के खाते में जमा की गई राशि, जिसे निर्धारिती की आय में जोड़ा गया था, स्पष्ट रूप से एक फर्जी प्रविष्टि थी, इस अर्थ में कि इसे केवल पंद्रह व्यक्तियों के खाते में जमा की गई राशि के रूप में दिखाया गया था, कथित रूप से निर्धारिती द्वारा उनसे कोई सामान नहीं खरीदा गया था, जबकि चूंकि कोई सामान नहीं खरीदा गया था, इसलिए राशि अघोषित स्रोतों से निर्धारिती की आय का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे निर्धारिती ने केवल रिकॉर्ड (लेखा पुस्तकों) पर लाया था, जिसे कथित विक्रेताओं की राशि और निर्धारिती के दायित्व के रूप में दिखाया गया था।

ई.

च

यह स्थिति होने के कारण, इस शीर्ष के तहत जोड़ करने की अनिवार्यता के बारे में विवाद, Rs.10,000/- को व्यापार खाते में जोड़े जाने के मद्देनजर, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि

लेखा बहियों को सकल लाभ का आकलन करने के उद्देश्य से अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि पुस्तकों में दिखाए गए सकल लाभ को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि निर्धारिती ने दिन-प्रतिदिन के स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाए थे, न ही अन्य आवश्यक वाउचर पेश किए थे या बनाए रखे थे, लेकिन फिर, यदि उन लेखा बहियों में कुछ अन्य संपत्तियों का खुलासा किया गया था, जिन्हें गलत तरीके से देनदारियां दिखाया गया है, और जिनके अधिग्रहण के लिए निर्धारिती ने -

जी.

एच.

स्रोत से, यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी इस उद्देश्य के लिए लेखा पुस्तकों का उपयोग करने का हकदार नहीं था।"

(जोर दिया गया) 7.वर्तमान दीवानी अपील में अपीलार्थी/निर्धारिती ने इस तर्क को दोहराया है कि अधिकारी ने 1961 के अधिनियम की धारा 144 के तहत जोड़ को "सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन" होने के कारण धारा 145 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों का उपयोग किया था।क्योंकि, धारा 144 के तहत मूल्यांकन केवल तभी किया जाता है जब पुस्तकों को अस्वीकार कर दिया जाता है।उस मामले में, बाद के परिवर्धनों को लागू करने के लिए उन्हीं पुस्तकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में 1961 के अधिनियम की धारा 68 के तहत किया गया है। अपीलार्थी/निर्धारिती ने उपरोक्त विवाद के समर्थन में तीन-आयामी याचिका को अपनाया; पहला, वह मूल्यांकन आदेश 1961 अधिनियम की धारा 145 (2) को संदर्भित करता है। इसमें 1961 के अधिनियम की धारा 145 (3) का उल्लेख होना चाहिए था। इसके लिए, अपीलार्थी/निर्धारिती 1961 के अधिनियम के संशोधन पर निर्भर करता है जो 1.4.1997 से प्रभावी हुआ।यह आग्रह किया जाता है कि 1.4.1997 (पूर्व-संशोधन) से पहले की धारा 145 (2) धारा 145 (3) पोस्ट 1.4.1997 (संशोधन के बाद) के समान है।इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि विभाग ने धारा 145 (2) का उल्लेख करने में त्रुटि की है न कि धारा 145 (3); दूसरा, कि पहले जोड़ के संदर्भ में मूल्यांकन आदेश में गलत तरीके से "नहीं" शब्द का उल्लेख किया गया है।अपीलार्थी/निर्धारिती के अनुसार, पैराग्राफ का उपसर्ग और उपयोग की गई भाषा, यह स्पष्ट करती है कि विभाग ने जोड़ को लागू करने के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 145 (3) पर भरोसा किया था।अपीलार्थी/निर्धारिती ने इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए मूल्यांकन आदेश के हिंदी संस्करण पर भी भरोसा किया है; तीसरा, कि मूल्यांकन धारा 144 के तहत किया गया था क्योंकि यह धारा 145 (3) को संदर्भित करता है।धारा 144 के तहत, अधिकारी को "सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन" करना होता है।अपीलार्थी/निर्धारिती आग्रह करता है कि उल्लिखित प्रावधान का उद्देश्य यह है कि अधिकारी पूरे खातों का पुनर्मूल्यांकन करे और कुल आय का आकलन करे और उसके बाद आयकर देयता की गणना करे।परिणामस्वरूप, अधिकारी (लेखा पुस्तकों को अस्वीकार करने के बाद) बाद में कोई जोड़ करने के लिए उन्हीं लेखा पुस्तकों पर भरोसा नहीं कर सकता है।अपीलार्थी/निर्धारिती का यह भी तर्क है कि अधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का एक ही लेनदेन पर दो बार कर लगाने का प्रभाव होगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

8. उपरोक्त विवादों को मजबूत करने के लिए, मड्डी पर निर्भरता रखी गई है

सुदर्शनम ऑयल मिल्स कं. बनामआयकर आयुक्त, हैदराबाद और आंध्र **1;** आयकर आयुक्त बनाम अग्रवाल

एच.

1 [1959] 37 आईटीआर 369 (एपी)

589

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

इंग.कं. (जल.) **2** और आयकर आयुक्त बनाम। जी. के. ठेकेदार **3.**

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने आग्रह किया कि अपीलार्थी/निर्धारिती की यह धारणा कि मूल्यांकन आदेश ने 1961 के अधिनियम की धारा 145 (3) के तहत लेखा पुस्तकों को खारिज कर दिया था, बेतुकी है।इसमें, विचाराधीन मूल्यांकन 1961 के अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत किया गया था। इस प्रकार, अधिकारी को जोड़ (ओं) बनाने के लिए उक्त पुस्तकों पर भरोसा करना उचित था।प्रत्यर्थी यह भी आग्रह करेगा कि पहला जोड़ लगाते समय, मूल्यांकन आदेश लेखा पुस्तकों को अस्वीकार नहीं करता है, बल्कि केवल उस हिस्से को अस्वीकार करता है जो सकल लाभ के आकलन से संबंधित है, क्योंकि निर्धारिती ने दिन-प्रतिदिन के स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाए थे, न ही सकल लाभ का निर्धारण करते समय अन्य आवश्यक वाउचर का उत्पादन या रखरखाव किया था।इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी यह भी आग्रह करेगा कि तुलनपत्र में "क्रेडिट" के तहत उल्लिखित राशि गलत है और 1961 अधिनियम की धारा 68 के तहत "नकद क्रेडिट" के रूप में योग्य है, जैसा कि मूल्यांकन आदेश में कहा गया है।निर्विवाद रूप से, अधिकारी ने अपीलार्थी/निर्धारिती को विचाराधीन प्रविष्टियों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए कई अवसर दिए।वास्तव में, नामित पंद्रह लेनदारों को समन नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई सबूत/स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था।अधिकारी द्वारा इस प्रकार दर्ज किए गए तथ्य का निष्कर्ष असाधारण है।इस प्रकार प्रत्यर्थी का तर्क है कि नकद ऋण से संबंधित निष्कर्ष, कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म नहीं देता है।

ग

डी.

ई.

10. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, हमें बाद की घटनाओं को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति के लिए आई. ए. नंबर 57442/2011 को विज्ञापन देने की आवश्यकता है।इस आवेदन द्वारा, अपीलार्थी/निर्धारिती ने सी. आई. टी. (ए) द्वारा दिनांक 13.1.2011 द्वारा पारित एक आदेश को रिकॉर्ड पर रखा है, जिसमें आयकर अधिकारी द्वारा धारा 271 (1) (सी) दिनांक 17.11.2006 के तहत पारित आदेश को चुनौती दी गई है।आयकर अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश में पहुंचे निष्कर्ष के परिणामस्वरूप उक्त आदेश पारित किया था, जो तब तक आई. टी. ए. टी. के चरण तक अंतिम हो गया था, दिनांक 1 के आदेश के अनुसार-इस प्रभाव से कि अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई कथित खरीद अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा की गई फर्जी प्रविष्टियां थीं।परिणामस्वरूप, अधिकारी द्वारा धारा 271 के तहत दंड की कार्यवाही शुरू की गई।हालाँकि, उस आदेश को अब अपीलीय प्राधिकरण [सी. आई. टी. (ए)] द्वारा रद्द कर दिया गया है।

च

जी.

2 (2006) 206 सीटीआर (पी एंड एच) 648 3 (2009) 19 डीटीआर (राज) 305 (आईटी अपील संख्या 13/2009,28.1.2009 पर निर्णय लिया गया)

एच.

अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस निष्कर्ष के साथ कि अपीलार्थी/निर्धारिती ने संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आय को छिपाया नहीं था या आय का गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/निर्धारिती के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को भी हटा दिया गया है/समाप्त कर दिया गया है और अपीलार्थी/निर्धारिती 1961 के अधिनियम की धारा 276 (सी) (डी) (1) (2) के तहत आरोपों से बरी हो जाता है।अपीलीय प्राधिकरण [सी. आई. टी. (ए)] के निर्णय पर वापस लौटते हुए, दिनांक 13.1.2011 के आदेश के माध्यम से, इसने मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 से संबंधित दंड कार्यवाही में अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया और इस प्रकार अवलोकन किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"17. अपीलीय कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी ने नियम 46 ए के तहत दिनांकित पत्र 16.10.2008 के तहत एक आवेदन दायर किया और इसे अतिरिक्त साक्ष्यों की जांच के बाद रिमांड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आईटीओ, वार्ड-1, मकराना को दिनांकित इस कार्यालय पत्र 28.1.2009 और 1.12.2010 के माध्यम से भेजा गया था।नियम 46 ए के तहत आवेदन के साथ, अपीलकर्ता ने 13 लेनदारों से शपथ पत्र, वित्तीय वर्ष के लिए बिक्री कर आदेश, जिसमें अपंजीकृत विक्रेता से रुपये की खरीद, अपंजीकृत विक्रेताओं द्वारा भुगतान की प्राप्ति के लिए राजस्व टिकट पर विधिवत हस्ताक्षरित नकद वाउचर और अपंजीकृत विक्रेता की पहचान दिखाने के लिए रासन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति दायर की।मूल्यांकन अधिकारी ने 13 में से 12 अपंजीकृत विक्रेताओं के बयान दर्ज किए।आई. डी. 2 की तारीख वाली रिपोर्ट में उन्होंने उल्लेख किया कि उपरोक्त 12 व्यक्तियों के बयान 15/आई. डी. 1 पर दर्ज किए गए थे और पहचान के संबंध में, अपंजीकृत लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रतियां दाखिल की हैं और उन सभी ने स्वीकार किया है

डी.

ई.

च

कि उन्होंने श्री को ऋण के आधार पर संगमरमर बेचा है। बशीर अहमद सिसोदिया**,** अपीलार्थी**,** वित्तीय वर्ष **97-98** के दौरान और दो या तीन वर्षों के बाद भुगतान प्राप्त किया।

हालाँकि, उन्होंने देखा कि उनमें से किसी ने भी अपने बयान के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है क्योंकि सभी संगमरमर के छोटे-छोटे अपंजीकृत व्यापारी हैं और छोटे व्यवसाय कर रहे हैं और इसलिए, कोई लेखा पुस्तिका नहीं रखी गई थी।उनमें से कुछ ने कहा है कि वे प्रासंगिक अवधि में छोटी डेयरियों का रखरखाव कर रहे थे, लेकिन वे पुरानी डेयरियों को संरक्षित नहीं कर सके।ए के कुछ

जी.

एच.

591

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उन्होंने कहा है कि उन्होंने वाउचर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं

लेन-देन की तारीख पर।इसलिए यह देखा गया है कि मूल्यांकन अधिकारी ने न तो उनकी पहचान पर संदेह किया है और न ही ए. वाई. **98-99** पर प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में संगमरमर के स्लैब की खरीद के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी रिमांड रिपोर्ट में दी है।

XXX XXX XXX

19. रुपये. **2,26,000-**के अतिरिक्त के संबंध में, यहां यह ध्यान रखना उचित होगा कि रुपये. **4,78,900** के संगमरमर के स्लैब की खरीद और रुपये. **3,57,463** के सामान की बिक्री से इनकार नहीं किया गया है-और रुपये. **2,92,490** के समापन स्टॉक का खुलासा किया गया है-जैसा कि **31.3.98** पर समाप्त वर्ष के लिए व्यापार खाते में बताया गया है।

ग

.....

संगमरमर की खरीद के बिना, व्यापार खाते में समापन स्टॉक की बिक्री और प्रकटीकरण नहीं हो सकता था और यह सुझाव देता है कि अपीलार्थी ने अपंजीकृत विक्रेताओं से संगमरमर के स्लैब खरीदे होंगे।

डी.

.....

अपंजीकृत विक्रेता से खरीद के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और उनकी वास्तविकता की पुष्टि रिमांड रिपोर्ट के दौरान निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश करके शपथ पत्र दाखिल करके की जाती है और निर्धारण अधिकारी को अपंजीकृत विक्रेताओं की पहचान और ए. वाई. **98-99** से संबंधित वित्तीय वर्ष में अपीलार्थी को संगमरमर के स्लैब की बिक्री के लिए किए गए दावे के संबंध में कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली।

ई.

च

.....

इस प्रकार, अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई खरीद को स्वीकार नहीं करने का कोई औचित्य नहीं था।यदि इस तरह का जोड़ किया जाता है, तो यह लाभ की अनुचित दर देगा।अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई खरीद के संबंध में वाउचर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।"

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

अंत में, पैराग्राफ 20 में, अपीलीय प्राधिकारी ने इस प्रकार टिप्पणी कीः- ''20.उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, मेरा विचार है कि आय को छिपाया या आय का कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था और तदनुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित 17.11.2006 के दंड आदेश को रद्द कर दिया जाता है।अपील के आधारों की अनुमति दी गई।''

विशेष रूप से, अपीलार्थी/निर्धारिती ने आवेदन के पैराग्राफ 2 (आई. ए. संख्या 57442/2011) में कहा है कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.1.2011 द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप, विभाग ने अपीलार्थी/निर्धारिती को ब्याज के साथ Rs.98,153/- (केवल अठानबे हजार एक सौ तैंतीस रुपये) की जुर्माना राशि वापस कर दी है।इसका मतलब है कि विभाग ने 13.1.2011 दिनांकित उक्त आदेश को अंतिम होने की अनुमति दी है।

ग

11. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील, डॉ. मनीष सिंघवी और श्री के. राधाकृष्णन को क्रमशः अपीलार्थी और प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए सुना है।

डी.

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को विच्छेदित करने से पहले, हम नीचे दिए गए मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 के लिए प्रासंगिक समय पर लागू प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं;

"मूल्यांकन

ई.

143. (1) (क) जहां धारा 139 के तहत या धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत किसी सूचना के जवाब में विवरणी दी गई है-(i) यदि स्रोत पर काटे गए किसी कर के समायोजन के बाद, ऐसे विवरणी के आधार पर कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है, तो भुगतान किया गया कोई अग्रिम कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा भुगतान की गई कोई राशि, तो, उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारिती को इस तरह से देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना को धारा 156 के तहत जारी की गई मांग की सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे; और

च

जी.

((ii) यदि इस तरह के विवरणी के आधार पर कोई धनवापसी देय है, तो यह निर्धारिती को दी जाएगीः

बशर्ते कि निर्धारिती द्वारा देय या उसे वापसी योग्य कर या ब्याज की गणना करने में, विवरणी में घोषित आय या हानि में निम्नलिखित समायोजन किए जाएंगे, अर्थात्:- ए.

एच.

593

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

(i) विवरणी, लेखा या उसके साथ आने वाले दस्तावेजों में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।

((ख) ऐसी कोई हानि, कटौती, भत्ता या राहत, जो ऐसी विवरणी, खातों या दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है, लेकिन जिसका विवरणी में दावा नहीं किया गया है, की अनुमति दी जाएगी।

(iii) विवरणी में दावा की गई कोई भी हानि, कटौती, भत्ता या राहत, जो इस तरह के विवरणी, खातों या दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य है, की अनुमति नहीं दी जाएगीः

ग

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक के तहत समायोजन किए जाते हैं, वहां निर्धारिती को एक सूचना भेजी जाएगी, इसके बावजूद कि उक्त समायोजन करने के बाद उससे कोई कर या ब्याज देय नहीं पाया जाता हैः

बशर्ते कि इस खंड के तहत देय किसी भी कर या ब्याज के लिए सूचना उस निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी जिसमें आय पहले आकलन योग्य थी।

डी.

(ख) जहां उप-धारा के तहत किए गए आदेश के परिणामस्वरूप

(3) इस धारा या धारा 144 या धारा 147 या धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264, या धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत किसी पूर्व निर्धारण वर्ष से संबंधित और खंड (ए) में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल करने के बाद पारित किए गए किसी भी निपटान आदेश में, विवरणी में दावा किए गए आगे ले जाने वाले नुकसान, कटौती, भत्ता या राहत में कोई भिन्नता है, और जिसके परिणामस्वरूप, -

ई.

च

(i) यदि कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है, तो निर्धारिती को इस प्रकार देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना को धारा 156 के तहत जारी की गई मांग की सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे, और

जी.

((ii) यदि कोई धनवापसी देय है, तो यह निर्धारिती को दी जाएगीःबशर्ते कि इस खंड के तहत देय किसी भी कर या ब्याज के लिए सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी जिसमें ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था।

एच.

(ग) जहां निर्धारिती व्यक्तियों के किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय का सदस्य है और यथास्थिति, संघ या निकाय द्वारा किए गए विवरणी में घोषित आय या हानि में उप-धारा (1) के खंड (क) के पहले परंतुक के तहत किए गए समायोजन के परिणामस्वरूप, या इस धारा की उप-धारा (3) या धारा 144 या धारा 147 या धारा 154 या धारा 155 या धारा 185 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या धारा 186 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 26 के तहत किए गए आदेश के परिणामस्वरूप।

ग

(i) यदि कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है, तो निर्धारिती को इस प्रकार देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना को धारा 156 के तहत जारी की गई मांग की सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे, और

डी.

((ii) यदि कोई धनवापसी देय है, तो यह निर्धारिती को दी जाएगी:बशर्ते कि इस खंड के तहत देय किसी भी कर या ब्याज के लिए सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी जिसमें ऐसा कोई समायोजन किया गया था या ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था।

ई.

(1ए) (ए) जहां उप-धारा (1) के खंड (ए) के पहले परंतुक के तहत किए गए समायोजन के परिणामस्वरूप, -

च

((i) वापसी में किसी व्यक्ति द्वारा घोषित आय में वृद्धि की गई है; या

((ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरणी में घोषित हानि को कम कर दिया जाता है या आय में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी -

जी.

(क) ऐसे मामले में जहां इस खंड के उपखंड (i) के तहत आय में वृद्धि ने ऐसे व्यक्ति की कुल आय में वृद्धि की है, उप-धारा (1) के तहत देय कर की राशि को कुल आय क पर कर के बीच के अंतर पर बीस प्रतिशत की दर से गणना किए गए अतिरिक्त आयकर से बढ़ा दें।

एच.

इस प्रकार बढ़ाया गया और वह कर जो प्रभार्य होता यदि ऐसी कुल आय को समायोजन की राशि से कम कर दिया जाता और उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (आई) के तहत भेजी जाने वाली सूचना में अतिरिक्त आय-कर निर्दिष्ट किया जाता;

(ख) ऐसे मामले में जहां इस प्रकार घोषित हानि को इस खंड के उपखंड (ii) के तहत कम किया जाता है या उपरोक्त समायोजन का उस हानि को आय में परिवर्तित करने का प्रभाव पड़ता है, कर के बीस प्रतिशत के बराबर राशि (जिसे इसके बाद अतिरिक्त आय-कर के रूप में संदर्भित किया जाता है) की गणना करें जो समायोजन की राशि पर इस तरह प्रभार्य होती जैसे कि वह ऐसे व्यक्ति की कुल आय होती और उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के तहत भेजी जाने वाली सूचना में इस तरह से गणना किए गए अतिरिक्त आय-कर को निर्दिष्ट करें।

ग

(ग) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई धनवापसी देय है, वहां ऐसी धनवापसी की राशि को उप-खंड (ए) या उप-खंड (बी) के तहत गणना किए गए अतिरिक्त आय-कर के बराबर राशि से कम कर दें।

डी.

(ख) जहां इस धारा की उप-धारा (3) या धारा 154 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के तहत किसी आदेश के परिणामस्वरूप, जिस राशि पर खंड (ए) के तहत अतिरिक्त आय-कर देय है, उसे बढ़ाया या घटाया गया है, वहां अतिरिक्त आय-कर को तदनुसार बढ़ाया या कम किया जाएगा, और -

ई.

(i) ऐसे मामले में जहां अतिरिक्त आय-कर बढ़ाया जाता है, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 156 के तहत मांग की सूचना देगा।

च

((ii) ऐसे मामले में जहां अतिरिक्त आय-कर कम किया जाता है, भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, वापस कर दी जाएगी।

(1 बी) जहां कोई निर्धारिती धारा 139 की उप-धारा (5) के तहत एक सूचना जारी करने के बाद, या उप-धारा के तहत धनवापसी, यदि कोई हो, के अनुदान के बाद संशोधित विवरणी प्रस्तुत करता है।

जी.

(1) इस धारा की उप-धारा (1) और (1 ए) के प्रावधान ऐसे संशोधित विवरणी के संबंध में लागू होंगे और-(1) किसी आय-कर, अतिरिक्त आय-कर या ब्याज के लिए पहले से भेजी गई सूचना में निम्नलिखित के आधार पर संशोधन किया जाएगा -

एच.

उक्त संशोधित विवरणी और जहां उक्त सूचना में निर्दिष्ट आय-कर, अतिरिक्त आय-कर या ब्याज के रूप में देय किसी भी राशि का भुगतान निर्धारिती द्वारा पहले ही किया जा चुका है, यदि ऐसे किसी संशोधन का प्रभाव -

(क) पहले से भुगतान की गई राशि को बढ़ाते हुए, इस खंड के तहत संशोधित सूचना निर्धारिती को उसके द्वारा देय अतिरिक्त राशि निर्दिष्ट करते हुए भेजी जाएगी और ऐसी सूचना को धारा 156 के तहत जारी की गई मांग की सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

(ख) पहले से भुगतान की गई राशि को कम करते हुए, भुगतान की गई अतिरिक्त राशि निर्धारिती को वापस कर दी जाएगी;

ग

((ii) पहले से दी गई वापसी की राशि को उक्त संशोधित वापसी के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाएगा और जहां पहले से दी गई वापसी की राशि -

डी.

(ए) बढ़ाया गया, केवल निर्धारिती को देय धनवापसी की अतिरिक्त राशि का भुगतान उसे किया जाएगा;

(ख) घटाई गई, इस प्रकार वापस की गई अतिरिक्त राशि को निर्धारिती द्वारा देय कर माना जाएगा और निर्धारिती को इस प्रकार देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना को धारा 156 के तहत जारी की गई मांग की सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगेः

ई.

बशर्ते कि एक निर्धारिती, जिसने इस धारा की उप-धारा (1) के तहत सूचना की सेवा के बाद धारा 139 की उप-धारा (5) के तहत एक संशोधित विवरणी प्रस्तुत की है, वह उप-धारा (1) के खंड (ए) के पहले परन्तुक के तहत किए गए समायोजन के संबंध में अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और उक्त सूचना में निर्दिष्ट होगा, चाहे उसने संशोधित विवरणी में उक्त समायोजन किए हों या नहीं।

च

(2) जहां धारा 139 के तहत विवरणी दी गई है, या धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत किसी सूचना के जवाब में, निर्धारण अधिकारी, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने आय को कम नहीं किया है या

अत्यधिक नुकसान की गणना नहीं की है या किसी भी तरह से कर का कम भुगतान नहीं किया है, तो निर्धारिती को एक सूचना दी जाएगी, जिसमें उसे निम्नलिखित तिथियों पर भुगतान करने की आवश्यकता होगीः

जी.

एच.

597

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उसमें या तो अपने कार्यालय में उपस्थित होने के लिए या किसी साक्ष्य को पेश करने के लिए या वहां पेश करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर निर्धारिती विवरणी के समर्थन में भरोसा कर सकता हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत निर्धारिती को उस महीने के अंत से बारह महीने की समाप्ति के बाद कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाती है।

(3) उप-धारा (2) के तहत जारी सूचना में विनिर्दिष्ट दिन पर, या उसके तुरंत बाद, ऐसे साक्ष्य को सुनने के बाद जो निर्धारिती प्रस्तुत करे और ऐसे अन्य साक्ष्य जो निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यक हों, और सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद जो उसने एकत्र की है, निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का आकलन करेगा, और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा।

ग

(4) जहां इस धारा की उप-धारा (3) या धारा 144 के तहत नियमित मूल्यांकन किया जाता है, -

डी.

(क) उप-धारा (1) के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर या ब्याज का भुगतान इस तरह के नियमित मूल्यांकन के लिए किया गया माना जाएगा;

(ख) यदि नियमित निर्धारण पर कोई धनवापसी देय नहीं है या उप-धारा (1) के तहत धनवापसी की गई राशि नियमित निर्धारण पर धनवापसी की राशि से अधिक है, तो इस प्रकार धनवापसी की गई पूरी या अतिरिक्त राशि को निर्धारिती द्वारा देय कर माना जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

ई.

च

(5) प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से ठीक पहले इस धारा के जो प्रावधान थे, वे 1 अप्रैल, 1988 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के किसी भी निर्धारण पर और उसके संबंध में लागू होंगे और इस धारा में इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भों को उन प्रावधानों के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा जो उस समय लागू थे और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए लागू थे।

जी.

स्पष्टीकरण.- उप-धारा (1) या उप-धारा (1 बी) के तहत निर्धारिती को भेजी गई सूचना को धारा 246 और 264 के प्रयोजनों के लिए एक आदेश माना जाएगा।

एच.

598 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन।

144. (1) यदि कोई व्यक्ति-(क) धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक विवरणी देने में विफल रहता है और उस धारा की उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के तहत विवरणी या संशोधित विवरणी नहीं देता है, या

(बी) धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या उस धारा की उप-धारा (2 ए) के तहत जारी किए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, या

ग

(ग) विवरणी देने के बाद, धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत जारी किए गए नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।

निर्धारण अधिकारी, उन सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद जो निर्धारण अधिकारी ने एकत्र की है, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगाः

डी.

बशर्ते कि ऐसा अवसर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को नोटिस में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख और समय पर कारण बताने के लिए एक नोटिस देकर दिया जाएगा कि मूल्यांकन को उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार क्यों पूरा नहीं किया जाना चाहिए:बशर्ते कि ऐसे मामले में ऐसा अवसर देना आवश्यक नहीं होगा जहां इस धारा के तहत निर्धारण करने से पहले धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत नोटिस जारी किया गया हो।

ई.

च

(2) प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से ठीक पहले इस धारा के जो प्रावधान थे, वे 1 अप्रैल, 1988 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के किसी भी निर्धारण पर और उसके संबंध में लागू होंगे और इस धारा में इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भों को उन प्रावधानों के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा जो उस समय लागू थे और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए लागू थे।

जी.

एच.

599

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

लेखांकन की विधि।

145. (1) "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखा की नकद या वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

(2) केंद्र सरकार समय-समय पर सरकारी राजपत्र में किसी भी वर्ग के कर निर्धारकों या आय के किसी भी वर्ग के संबंध में पालन किए जाने वाले लेखा मानकों को अधिसूचित कर सकती है।

(3) जहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के खातों की शुद्धता या पूर्णता के बारे में संतुष्ट नहीं है**,** या जहां उप**-**धारा **(1)** में प्रदान की गई लेखांकन की विधि या उप**-**धारा **(2)** के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से पालन नहीं किया गया है**,** वहां निर्धारण अधिकारी धारा **144** में प्रदान की गई तरीके से मूल्यांकन कर सकता है।**"**

ग

डी.

(जोर दिया गया) 13.अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों और निष्कर्षों की ओर लौटते हुए और जिसने अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय की सराहना की, यह अवश्य मानना चाहिए कि अपीलकर्ता/निर्धारिती को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, अपंजीकृत विक्रेताओं से संगमरमर की खरीद के संबंध में अपने दावे की शुद्धता और वास्तविकता को साबित करने में विफल रहा।नतीजतन, उक्त लेन-देन को फर्जी प्रविष्टियों के रूप में माना गया (नामित डीलरों के क्रेडिट के लिए खड़ा है जो निर्धारिती के गैर-मौजूद लेनदार थे)।

ई.

च

14. हालांकि, अब यह रिकॉर्ड में आ गया है कि दंड की कार्यवाही में अपीलकर्ता/निर्धारिती ने स्पष्टीकरण की पेशकश की और संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के हलफनामे और बयान दर्ज किए और उनकी साख स्थापित की।उस स्पष्टीकरण को सी. आई. टी. (ए) द्वारा दिनांकित 13.1.2011 आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।अब तक पुनः प्रस्तुत किए गए उक्त निर्णय के पैराग्राफ 17 में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकारी ने 13 में से 12 अपंजीकृत विक्रेताओं के बयान दर्ज किए और उनकी पहचान भी विधिवत स्थापित की गई।अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण [(सी. आई. टी. (ए)] ने नोट किया कि अधिकारी ने न तो उन विक्रेताओं की पहचान पर संदेह किया था और न ही बिक्री के संबंध में उनके बयान के संदर्भ में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी।

जी.

एच.

मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 से संबंधित वित्तीय वर्ष में अपीलार्थी/निर्धारिती को उनके द्वारा संगमरमर के स्लैब और दो से तीन वर्षों के बाद भुगतान की प्राप्ति।इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा ₹3 (केवल चार लाख अड़तालीस हजार नौ सौ रुपये) मूल्य के संगमरमर की खरीद और ₹2 (केवल तीन लाख सत्तावन हजार चार सौ साठ तीन रुपये) मूल्य के संगमरमर की बिक्री से इनकार नहीं किया गया था।अपीलीय प्राधिकरण ने इस प्रकार पाया कि संगमरमर की खरीद के बिना, व्यापार खाते में बंद स्टॉक की कोई बिक्री और प्रकटीकरण नहीं हो सकता है।दूसरे शब्दों में, अभिलेख की सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं ने अपीलार्थी/निर्धारिती को संगमरमर के स्लैब उधार पर बेचे थे, जैसा कि दावा किया गया था। इस निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि न तो आय को छिपाया गया था और न ही निर्धारिती द्वारा आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया गया था।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ये टिप्पणियां सक्षम मंच (अपीलीय प्राधिकरण) द्वारा निर्धारिती के पक्ष में 1961 के अधिनियम की धारा 271 के तहत दंड कार्यवाही में की गई हैं।हालाँकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बताई गई दंड कार्यवाही मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 के संबंध में प्रश्नगत मूल्यांकन आदेश का परिणाम थी। वास्तव में, मूल्यांकन के समय, अपीलार्थी/निर्धारिती अपंजीकृत विक्रेताओं से की गई खरीद के संबंध में प्रविष्टियों के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा था।हालाँकि, दंड की कार्यवाही में, अपीलार्थी/निर्धारिती ने 13 अपंजीकृत विक्रेताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से 12 की जाँच अधिकारी द्वारा की गई थी।अधिकारी ने उनके बयान दर्ज किए और उनमें उनकी साख सहित कोई कमजोरी नहीं पाई।विक्रेता अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा उनसे ऋण पर की गई खरीद के बारे में किए गए दावे पर कायम रहे; और किस स्पष्टीकरण को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांकित 13.1.2011 आदेश के पैराग्राफ 17 और 19 में स्वीकार किया गया है।

ग

डी.

ई.

च

15. इसे अलग तरह से रखने के लिए, जिस तथ्यात्मक आधार पर अधिकारी ने दिनांक 30.11.2000 (मूल्यांकन वर्ष 1998-1999 के लिए) के मूल्यांकन आदेश में अपनी राय बनाई, रुपये 2,26,000-(केवल दो लाख छत्तीस हजार रुपये) के अतिरिक्त के संबंध में, संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के हलफनामों और बयानों द्वारा दंड कार्यवाही में खारिज कर दिया जाता है।वह साक्ष्य अपीलार्थी/निर्धारिती के दावे का पूरी तरह से समर्थन करता है।अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 13.1.2011 के आदेश के अनुसार, ए नहीं था

जी.

एच.

601

बेसीर अहमद सिसोदिया बनाम आय कर अधिकारी [ए. एम. खानविलकर, जे.]

केवल अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया, लेकिन इस तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया कि मूल्यांकन वर्ष के लिए अपीलार्थी/निर्धारिती द्वारा आय को छिपाया नहीं गया था या आय का कोई गलत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।यह अब निर्विवाद स्थिति होने के कारण, यह आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए कि रु. 2,26,000-(केवल दो लाख छत्तीस हजार रुपये) की राशि को जोड़ा जाना उचित नहीं है, बहुत कम, बनाए रखा जा सकता है।

16. तदनुसार, यह अपील केवल इसी आधार पर सफल होनी चाहिए और हमारे लिए इस निर्णय के पहले भाग में उल्लिखित पक्षों द्वारा आग्रह किए गए अन्य प्रश्नों/तर्कों पर विस्तार करना अनावश्यक होगा।17. तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है।1961 के अधिनियम की धारा 68 के तहत अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष के लिए संबंधित अपंजीकृत विक्रेताओं के नाम के खिलाफ दिखाई गई नकद क्रेडिट राशि के लिए रु. 2,26,000-(केवल दो लाख छब्बीस हजार रुपये) का जोड़, इसके द्वारा अलग रखा जाता है।सी. आई. टी. (ए) द्वारा दिनांकित 9.1.2003 के आदेश द्वारा संशोधित 30.11.2000 का शेष मूल्यांकन आदेश अबाधित रहेगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।सभी लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

ग

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

च

जी.

एच.